तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. /1861/2005/जयपुर **सरकार बनाम रामपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-02-24	**एकलपीठ** **श्री विष्णु कुमार गोयल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अभिभाषक। श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 18–03–05 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बस्सी ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान अति0 कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि एकीकरण जमाबंदी संवत् 2019 ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नंबर 234 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके आमेर वहतमाम पुजारी सुरजनदास चेला चतरदास हि.3/4 माफी मंदिर श्री जगदीशजी वाके आमेर वहतमाम पुजारी जयन्तदास पुत्र लक्ष्मनदास कौम बा0 हि. 1/4 सा. आमेर की खातेदारी में तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 242 रकबा 37 बीघा माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके आमेर वहतमाम पुजारी सुरजनदास चेला चतुरदास कौम बा0 सा. आमेर की खातेदारी मे दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में बिरदा पुत्र नन्दा कौम मीना सा0 देह दर्ज था। कृषक बिरदा पुत्र नन्दा के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 67 से भौरया, समसहाय, छोटू पि0 बिरदा के हक में तथा भौरया के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 69 विरासत से गोपाल, छीतर पि. भौरया के हक में स्वीकार होकर कालान्तर में जमाबंदी संवत् 2023–26 बनाते समय माफी मंदिर श्री सीतारामजी एवं माफी मंदिर श्री जगदीशजी का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त आराजी की खातेदारी बिना किसी वैद्य आदेश के कृषकगण रामपाल, छीतर पि. भौरया व	

रामसहाय, छोटू पि. बिरदा जाति मीणा के हक में दर्ज कर दी गई। वाद में अप्रार्थी छोटू के फौत होने पर नामांतकरण संख्या 73 के द्वारा वारिस काना, भागीरथ, मूला पुत्र छोटू के नाम व छीतर के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 146 से जगदीश पुत्र छीतर, राजू नाबालिक सरंक्षक माता मूली व मूली बेवा छीतर के हक में स्वीकार होकर खातेदारी दर्ज की गई तथा जमाबंदी संवत् 2052–54 में भूमि रामपाल पुत्र भोरिया, जगदीश, राजू पि. छीतर नाबालिग सरंक्षक माता व मूली बेवा छीतर, रामसहाय पुत्र बिरदा, काना, भागीरथ, मूल्या पि. छोटू जाति मीना सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके आमेर व जगदीशजी वाके आमेर के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें तथा नामांतरकरण सं. 67 एवं उसके पश्चातवर्ती नामातंकरण निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अति0 कलेक्टर को प्रस्तुत किया। अति0 कलेक्टर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर अपनी अभिशंषा से वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। विवादित आराजी मंदिर की खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि रेफरेंस गलत प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15 अक्टूबर 1955 को प्रभाव में आया है, इससे पूर्व जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 दिनांक 16–02–1952 प्रभाव में था। राजस्थान राज्य में मंदिरों की माफी 1 जुलाई 1963 को खालसा हुई है। जागीर रिजम्शन एक्ट की धारा 9 के अनुसार उन व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो इस एक्ट के प्रभाव में आने के दिन बतौर टीनेन्ट के काबिज रह कर काश्त करते थे, उनहें राजस्थान टीनेन्सी के काश्त करते थे और जिस दिन यह अधिनियम प्रभाव में आया उस दिन अप्रार्थीगण बतौर टीनेन्ट के काबिज रहकर काश्त करते थे। उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान व प्रतिबंध अप्रार्थी की हैसियत पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते है। जागीर रिजम्शन एक्ट की धारा 10 के अनुसार जागीरदारों/माफीदारों को उस भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है जो जागीर खालसा होने के दिन खुदकाश्त करते हो उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की पैत्रक सम्पत्ति है तथा बुजर्गो के समय से ही बहैसियत खातेदार एवं काबिजकाश्त चले आ रहे है। लंबे समय बाद रेफरेंस के माध्यम से अप्रार्थी की खातेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता। रेफरेंस की कार्यवाही एक समयसीमा में ही की जा सकती है। मनमाने समय में नहीं। प्रश्नगत भूमि का जबसे रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार हुआ है तब से अप्रार्थी विवादित आराजी पर बतौर टिनेन्ट काबिज है और इसी हैसियत से राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज है। भूमि एकीकरण में तैयार किए गए रिकॉर्ड ऑफ राइटस को निरस्त कराने का प्रावधान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में नहीं है और ना ही इंद्राज दुरूस्त कराने के लिए राजस्व विभाग सक्षम है। भूमि एकीकरण की कार्यवाही ततसमय कानून के अनुसार ही हो सकती है। विवादित आराजी न तो मंदिर के द्वारा काश्त की गई है और न ही मंदिर की खुदकाश्त की भूमि कभी राजस्व रिकोर्ड में रही है। तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है तथा प्रस्तुत जमाबंदी में

खुदकाश्त के कॉलम में अप्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व भी विवादित आराजी जमाबंदी के खुदकाश्त कॉलम में उनके पिता (पूर्वजों) के नाम दर्ज रहीं है। रेफरेंस लम्बे समय के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। रेफरेंस किसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत न होकर सिर्फ नामांतरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि प्रश्नगत प्रकरण में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दिनांक 1–03–99 से नामांतरकरण संख्या 67 एवं उसके पश्चातवर्ती नामांतकरणों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। रेफरेन्स के माध्यम से अत्यधिक पुराने नामांतरणकरण को कानूनन न तो चुनौती दी जा सकती है और न ही इन्हें निरस्त किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से बखुबी प्रमाणित है कि वर्तमान मुख्य खातेदारान के प्रश्नगत आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही कृषक के कॉलम में विधिवत तौर पर दर्ज चले आ रहे है। अंत में उनका कथन रहा कि विवादित भूमि कभी भी माफी मंदिर की नहीं रही है। अतः उक्त तथ्यों को विवेचित किये बिना सीधे रेफरेंस के माध्यम से वर्तमान खातेदारान के नाम से खातेदारी अंकन नहीं हटाये जा सकते। विवादित आराजी काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही कब्जेकाश्त की भूमि है। अतः रेफरेंस सारहीन होने से खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान रेफरेंस अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम जयपुर ने मंडल को इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि एकीकरण जमाबंदी संवत् 2019 ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नंबर 234 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके आमेर वहतमाम पुजारी सुरजनदास चेला चतरदास हि.3/4 माफी मंदिर श्री जगदीशजी वाके आमेर वहतमाम पुजारी जयन्तदास पुत्र लक्ष्मनदास कौम बा0 हि. 1/4 सा. आमेर की खातेदारी में तथा इसी प्रकार

खसरा नंबर 242 रकबा 37 बीघा माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके आमेर वहतमाम पुजारी सुरजनदास चेला चतुरदास कौम बा0 सा. आमेर की खातेदारी मे दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में बिरदा पुत्र नन्दा कौम मीना सा0 देह दर्ज था। कृषक बिरदा पुत्र नन्दा के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 67 से भौरया, समसहाय, छोटू पि0 बिरदा के हक में तथा भौरया के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 69 विरासत से गोपाल, छीतर पि. भौरया के हक में स्वीकार होकर कालान्तर में जमाबंदी संवत् 2023–26 बनाते समय माफी मंदिर श्री सीतारामजी एवं माफी मंदिर श्री जगदीशजी का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त आराजी की खातेदारी बिना किसी वैद्य आदेश के वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। माफी मंदिर की भूमि शाश्वत नाबालिग की भूमि होने के कारण इस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर भूमि पुनः मंदिर माफी की खातेदारी में दर्ज की जावे। प्रकरण के साथ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संवत् 2019 खतौनी एकीकरण जमाबंदी के कॉलम सं.3 में माफीदार का नाम दर्ज है तथा कॉलम सं. 5 जो कृषक का कॉलम है उसमें बिरदा पुत्र नन्दा कौम मीणा साकिन देह का नाम अंकित है। हस्तगत् रेफरेंस प्रस्तुत कर नामांतरकरण सं. 67, 69, 73 व 146 को निरस्त करने की अभिशंषा की गई है। प्रश्नगत नामांतरणकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये है और ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरणकरणों के विरूद्ध नियमित प्रथम अपील, न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रावधान धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रावधित अनुसार प्रथम अपील धारा 78(ए) भू.रा.अ. 1956 के तहत 30 दिवस में ही प्रस्तुत की जा सकती है तथा रेफरेन्स जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया (**Summary Procedure**) नियमित अपील का स्थान कतई नहीं ले सकती है। हमारे इस कथन को न्यायिक दृष्टांत 2018–19 (Supp.) आर.आर.टी. पेज 593 से बल प्राप्त होता है जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Section 82 - Land of Khasra number 5335 decleard to be

> *khatedari of plaintiffs non-petitioners land was siwai chak-Reference-SDO passed the judgment after hearing both the parties-If the State Government was aggrieved, judgment ought to have been challenged in appeal-Reference filed after expiry of limitation Reference could not be option of appeal-Held, Decree cannot be set aside by rererence-Reference is liable to be dismissed.*

उक्त न्यायिक दृष्टांत अनुसार निर्धारित परिसीमा अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर मियाद समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स अपील का विकल्प नहीं हो सकता है व ना ही रेफरेन्स के द्वारा नामांतरणकरण अपास्त किये जा सकते है, इस सम्बन्ध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत 2018 आर.बी.जे. पृष्ठ 683 सुसंगत है –

> *RAJASTHAN LAND REVENUE ACT 1956-Section 82-After 50 years reference for cancellation of mutation is not justified.*

राज्य सरकार को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरणकरण में अनियमितता प्रतीत होने पर तत्समय ही सम्बन्धित प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। किंतु राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक पुराने नामांतरकरणों को रेफरेंस के माध्यम से चुनौति दी जाकर निरस्त कराये जाने की अनुशंषा की गई है। रेफरेंस प्रस्तुत करने का मुख्य **आधार राज्य सरकार द्वारा जमाबंदी संवत् 2019 में विवादित आराजी माफी मंदिर के नाम दर्ज होना अंकित किया है जबकि** पत्रावली में इस सम्बंध में कोई भी राजस्व रिकोर्ड/जमाबंदी पेश नहीं की गई है जिससे प्रकट होता हो कि विवादित आराजी वर्तमान खातेदारों के नाम दर्ज होने से पूर्व माफी मंदिर के नाम दर्ज रहीं हो। प्रस्तुत रेफरेंस में राज्य सरकार द्वारा जो राजस्व रिकोर्ड प्रस्तुत किये गये है उसके अनुसार विवादित आराजी प्रारम्भ से ही अप्रार्थी के पूर्वज बिरदा पुत्र नन्दा कौम मीणा साकिन देह के नाम दर्ज रही है। कृषक बिरदा के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 67 से भौरया,

| | रामसहाय, छोटू पिसरान बिरदा के हक में तथा भौरया के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 69 से गोपाल, छीतर पिसरान भौरया के नाम स्वीकृत हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड अनुसार प्रारम्भिक नामांतरणकरण संख्या 67 स्वीकृत किया जाना स्पष्ट है तथा पश्चातवर्ती नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने का मूल आधार नामांतरकरण सं. 67 है जिससे पश्चातवर्ती नामांतरकरण संख्या 69, 73 व 146 सर्जित हुये है। हस्तगत् रेफरेंस दिनांक 10—5—99 को प्रस्तुत कर मूल नामांतरकरण 67 निरस्त कराने हेतु लगभग 32 वर्षो के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है तथा इतने लम्बे समय पश्चात् रेफरेंस प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट कारण भी अनुशंषा में अंकित नहीं किया गया है। धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रेफेरेंस हेतु कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं होने के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टतः प्रतिपादित कर दिया गया है कि रेफेरेंस समुचित समय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि सामान्यतः एक साल से अधिक नहीं होना चाहिये। 1996 RRD पेज 170 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवश्य प्रतिपादित किया गया है कि समुचित समय एक साल होने के बावजूद रेफेरेंस हेतु मियाद का बिन्दु प्रकरण विशेष के तथ्यों तथा रेफेरेंस अधीन चुनौती दिये गये आदेश की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये। जहां फर्जकारी सिद्ध हो अथवा निजी पक्षकार एवं लोक सेवक के बीच दुरभि संधि के कारण व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा हो तो तत्सम्बन्धी कारण अंकित करते हुये एक साल की अवधि के बाद भी रेफेरेंस किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अति0 जिला कलेक्टर, प्रथम जयपुर के रेफेरेंस निर्णय/ अभिशंषा दिनांक 18—3—05 में किसी प्रकार की फर्जकारी अथवा दुरभि संधि का उल्लेख नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्तमान मुख्य खातेदारान अप्रार्थीगण के प्रश्नगत आराजी में खातेदारी अधिकार विधिवत तौर पर दर्ज चले आ रहे है और इन्हें खातेदारी अधिकार कपट से प्राप्त होना परिलक्षित नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की | |

वृहदपीठ द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत उनवानी ''तारा बनाम् राज्य सरकार'', जो 2015 आर.बी.जे. के पेज 486 पर उद्धरित प्रश्न संख्या 5 एवं वृहदपीठ द्वारा दिया गया जवाब निम्नांकित है –

> Question no.(v) *Whether any time limit can be fixed for reference u/s 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and u/s.232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity). If so, to what extent?*
>
> Answer:- *No time limit has been fixed for reference under Section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity), and thus a reference can be made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances of each case. Even if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land."*

इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ ने डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 532/2017 बउनवानी ''गोपाराम बनाम राजस्थान सरकार'' में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत (2015) 3 एस.सी.सी. पेज 695 के आधार पर अत्यधिक देरी से पेश किया गया रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। हमारे समक्ष अप्रार्थी द्वारा जो भू प्रबंध सेटलमेंट विभाग खतौनी बंदोबस्त 2015–34 प्रस्तुत की गई है उसके कॉलम सं. 3 में खालसा दर्ज है और कॉलम सं. 5 कृषक के कॉलम में अप्रार्थीगण के पूर्वज बिरदा पुत्र नंदा बतौर कृषक खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड है। ग्राम रामसिंहपुरा के वर्तमान खसरा नंबर 234 रकबा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. /1861/2005/जयपुर **सरकार बनाम रामपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23 बीघा 8 बिस्वा के गत खसरा संख्या 439/1 रकबा 10.16 बीघा एवं 439/517/1 रकबा 12.12 बीघा थे एवं वर्तमान खसरा संख्या 442 रकबा 37 बीघा के गत खसरा नंबर 477 रकबा 8.5 बीघा, 479 रकबा 10.16 बीघा, 473 मिन रकबा 2.1 बीघा, 476 रकबा 18 बिस्वा, 441/1 मिन रकबा 6.15 बीघा, 441/3 रकबा 8.5 बीघा थे। खसरा संख्या 476 एवं 477 जमाबंदी संवत् 2015—34 के कॉलम संख्या 3 में खालसा एवं कॉलम संख्या 5 कृषक के कॉलम में बिरदा का नाम दर्ज है। इसी तरह खसरा संख्या 441 व 473 खतौनी बंदोबसत संवत् 2015—34 के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर का नाम एवं कॉलम संख्या 5 खुदकाश्त के कॉलम में बिरदा वल्द नंदा साकिन देह दर्ज है। इसी तरह उक्त खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015—34 में खसरा नंबर 438 कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर का नाम एवं खुदकाश्त के कॉलम संख्या 5 में बिरदा वल्द गोपाल 1/4 हिस्सा मंगला 1/4 हिस्सा श्योजी एवं रामदेव 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा खसरा संख्या 439/517 एवं खसरा संख्या 479 उपरोक्तानुसार दर्ज है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमि संवत् 2015—34 में खालसा एवं माफी की भूमि थी किंतु कृषक के कॉलम में अप्रार्थीगण के पूर्वज बिरदा पुत्र नंदा बतौर कृषक अंकित रहा है। यह र्निविवाद है कि माफी रिज्यूमशन से पूर्व यदि कोई व्यक्ति भूमि पर कृषक की हैसियत से काबिज है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर उस भूमि का स्वतः खातेदार हो जाता है। वर्तमान रेफरेंस में जिस मूल दस्तावेज के आधार पर यह रेफरेंस किया गया है उसमें ही जब कृषक के कॉलम में बिरदा पुत्र नंदा का नाम अंकित है तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका नाम माफी मंदिर के स्थान पर अवैध रूप से दर्ज किया गया है। अप्रार्थीगण का नाम माफी मंदिर की भूमि के बजाय गलत रूप से खातेदार अथवा कृषक की हैसियत से दर्ज किया गया है। रेफरेंस प्रस्तुत करने का तहसीलदार द्वारा मुख्य आधार जमाबंदी संवत् 2019 में विवादित आराजी मंदिर के नाम होना लिया गया है किंतु पत्रावली में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2019 एवं अप्रार्थी द्वारा जरिए फर्द दस्तावेज प्रस्तुत संवत् 2019 से पूर्व की खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी कॉलम संख्या 3 में	

खालसा एवं मंदिर के नाम तथा खुदकाश्त के कॉलम संख्या 5 में कृषक बिरदा पुत्र नंदा का नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि बंदोबस्त विभाग द्वारा जमाबंदी संवत् 2019 तहरीर करते वक्त खुदकाश्त के कॉलम में अप्रार्थीगण के पूर्वज बिरदा का नाम अंकित किया गया हो। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संवत् 2019 के पूर्व की खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी के विरोध में किसी प्रकार का दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वर्तमान अप्रार्थीगण तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस के मूल आधार जमाबंदी संवत् 2019 के पूर्व से ही कृषक की हैसियत से अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड थे और काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर ही वह इस भूमि के स्वतः खातेदार हो चुके थे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हस्तगत रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है।

परिणामतः हस्तगत् रेफरेंस सारहीन होने एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विष्णु कुमार गोयल)
सदस्य